भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1153
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

न्याय बंधु कार्यक्रम

1153. श्री जगदम्बिका पाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत पंजीकृत निःशुल्क अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है ; और

(ख) कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों द्वारा कुल कितने मामले दर्ज कराए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : सरकार ने प्रो-बोनो विधिक सेवाओं के लिए एक वितरण ढांचा उपलब्ध कराने और देश में प्रो-बोनो संस्कृति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवाएं) आरंभ की थी। प्रो बोनो अधिवक्ता की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों और अधिक्ताओं दोनों को न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन (एंड्रॉइड, आईओएस और उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। 31 जनवरी, 2024 तक, 10,779 प्रो-बोनो अधिवक्ताओं को 27 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधिज्ञ परिषदों से न्याय बंधु कार्यक्रम के अधीन पंजीकृत किया गया है (उपाबंध-क) और 31 जनवरी, 2024 तक कार्यक्रम के अधीन लाभार्थियों द्वारा पंजीकृत किए गए कुल मामले 3157 हैं (उपाबंध-ख) ।

****

उपाबंध-क

न्याय बंधु कार्यक्रम के संबंध में श्री जगदम्बिका पाल संसद सदस्य द्वारा पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1153 जिसका उत्तर तारीख 09.02.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।		
न्याय बंधु कार्यक्रम के अधीन पंजीकृत किए गए प्रो बोनो अधिवक्ताओं की संख्या को दर्शाने वाला राज्य विधिज्ञ परिषद-वार एक विवरण (2017-2023)		
क्र.सं.	**राज्य विधिज्ञ परिषद**	**राज्य विधिज्ञ परिषद-वार अधिवक्ताओं की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	669
2	असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	266
3	बिहार	626
4	छत्तीसगढ़	343
5	दिल्ली	936
6	गुजरात	195
7	हिमाचल प्रदेश	383
8	जम्मू - कश्मीर	152
9	झारखंड	342
10	कर्नाटक	313
11	केरल	157
12	मध्य प्रदेश	634
13	महाराष्ट्र और गोवा	577
14	मणिपुर	57
15	मेघालय	48
16	ओडिशा	289
17	पंजाब और हरियाणा	1988
18	राजस्थान	1130
19	तमिलनाडु	394
20	तेलंगाना	194
21	त्रिपुरा	6
22	उत्तर प्रदेश	720
23	उत्तराखंड	160
24	पश्चिमी बंगाल	179
25	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	15
26	दादरा और नागर हवेली	1
27	दमण और दीव	5
	कुल	**10779**

उपाबंध-ख

न्याय बंधु कार्यक्रम के संबंध में श्री जगदम्बिका पाल संसद सदस्य द्वारा पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1153 जिसका उत्तर तारीख 09.02.2024 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।		
न्याय बंधु कार्यक्रम के अधीन लाभार्थियों द्वारा पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण (2017-2023)		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**मामलों की संख्या**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	20
2	आंध्र प्रदेश	84
3	अरुणाचल प्रदेश	4
4	असम	34
5	बिहार	113
6	चंडीगढ़	34
7	छत्तीसगढ़	45
8	दादर और नागर हवेली	0
9	दमण और दीव	0
10	दिल्ली	571
11	गोवा	5
12	गुजरात	90
13	हरियाणा	157
14	हिमाचल प्रदेश	21
15	जम्मू - कश्मीर	27
16	झारखंड	68
17	कर्नाटक	95
18	केरल	40
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	167
21	महाराष्ट्र	484
22	मणिपुर	9
23	मेघालय	2
24	मिजोरम	1
25	नागालैंड	1
26	ओडिशा	129
27	पुडुचेरी	0
28	पंजाब	33
29	राजस्थान	66
30	सिक्किम	1
31	तमिलनाडु	55
32	तेलंगाना	88
33	त्रिपुरा	2
34	उत्तर प्रदेश	391
35	उत्तराखंड	47
36	पश्चिमी बंगाल	273
	कुल	**3157**

****